111

कोर्ट आफ रेवेन्यू

समक्ष : श्रीमान ~~कलेक्टर/आयुक्त~~ महोदय , जबलपुर (मध्य प्रदेश)

पुनरीक्षण क्रमांक : निगरानी-4355/2018/ जबलपुर/ भू.रा.

श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार शेख
27 JUN 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

618

आवेदकगण / रिवीजनकर्तागण : 1- अशोककुमार नवलरमानी उम्र 55 वर्ष
पिता - श्री हरदासमल नवलरमानी
2- श्रीमति आशा नवलरमानी उम्र 53 वर्ष
पति - श्री अशोककुमार नवलरमानी
दोनो निवासी - 1256 विजयनगर विवेकानंद वार्ड , जबलपुर (म०प्र०)

विरुद्ध

अनावेदक : मध्य प्रदेश शासन द्वारा
तहसीलदार गोरखपुर वृत - 2 जबलपुर

आज प्राप्त
Bhim 27.6.18
केस नवलरमानी
आशा नवलरमानी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा - 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण निम्न विनय करते है कि ::-

1- यह कि, आवेदकगण की व्यवसायिक उपयोग की दुकान मौजा पोलीपाथर नं०-167 प०ह०नं०-24/2 नया 29 वर्तमान में प०ह०नं०8, रा०नि०मं० जबलपुर - 1 ग्वारीघाट वार्ड नर्मदानगर में स्थित भूमि खसरा नंबर 24/2 क भाग जो किनामांतरण पश्चात खसरा नंबर 24/2 में निर्मित 384 वर्गफुट (24×16) की दुकान जिसका नगर निगम मकान नं. 1227 व 3 नर्मदानगर ग्वारीघाटवार्ड जबलपुर है जिसे संलग्न बैनामा दिनांक - 18/2/14 व उसके नक्शे में चौहद्दी सहित दर्शाया गया है जिसमें आवेदकगण नर्मदा बैंकर्स के नाम से प्रतिष्ठान चलारहे है जिसे आगे वादग्रस्त कहकर संबोधित किया जावेगा ।

-/2

तहसील न्यायालय गोरखपुर, जबलपुर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–4355/2018/जबलपुर/भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-08-18	यह निगरानी तहसीलदार गोरखपुर–2 जबलपुर के प्रकरण कमांक 3/अ–70/15–16 में पारित आदेश दिनॉक 30–4–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि तहसीलदार गोरखपुर –2 जबलपुर व्दारा आदेश दिनॉक 30–4–2016 के अंत में इस प्रकार निर्णय लिया है :– " अतः म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत मौजा पोलीपाथर के ख. नं. 24/2 क रकबा 0.239 है. का अंश रकबा 384 वर्गफुट से अनावेदक अशोक नवलानी पिता हरदासमल नवलानी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त रकबा से अपना निर्माण एंव निर्माण सामग्री 7 दिवस के अंदर हटा लें। अन्यथा उक्त निर्माण को हटाने का जो भी खर्च आयेगा वह भू राजस्व के बकाया की भॉति अनावेदक से वसूल किया जायेगा। " स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अंतरिम आदेश न होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत अंतिम आदेश है जो संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य है। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदकगण सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार निगरानी प्रचलन–योग्य न पाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	